

107 व. प्र. स. कार्यालय

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी

शिवनाथयोग महतो  
वनाम  
वि. वीरवल महतो

M-48/2018 आदेश पत्रक

28/3/18

अगिलेख संख्या :- एम. 48 / 200/18 धारा :- 107 व. प्र. स.

थाना प्रभारी ~~खूँटी~~ के अप्राथमिकी संख्या :- 14/18

106  
28/3/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द. प्र. स. 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 12/4/18 को उपस्थापित करें।

अनुमंडल दण्डाधिकारी  
खूँटी

12/7/18

विषय स्पष्टिपत्र

दिनांक - 12/7/18 को मजे

19/7/18

द्वितीय पक्ष के पुनः अद्यक्ष स्पष्टिपत्र.  
दिनांक 26/7/18 को लेंगे

19/7/18

26/7/18

उपस्थित व्यासकर्मके अनुपस्थित युगलिक  
10.8.18 को लेंगे

10/8/18

द्वितीय पक्ष स्पष्टिपत्र। उपस्थित  
व्यासकर्मके अनुपस्थित हुए अरु में  
उपस्थित के द्वारा लक्षित नहीं  
आने के कारण अद्यक्ष का पत्र  
के लिए किया गया है

26/7/18

10/8/18